फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

धर्मराज पिता रामकिशन जाति मीणा निवासी पांचा का बाडा

बनाम

सोदान पिता हरजी जाति मीणा निवासी पांचा का बाडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 239/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
12.03.21	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पांचा का बाडा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3345 रकबा 00.14 बीघा, आ.न. 3322 रकबा 01.07 बीघा, आ.न. 2319 रकबा 00.08 बीघा, आ.न. 3333 रकबा 00.04 बीघा, आ.न. 3302 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 3303 रकबा 01.11 बीघा कुल 06 रकबा 04.07 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पांचा का बाडा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3345 रकबा 00.14 बीघा, आ.न. 3322 रकबा 01.07 बीघा, आ.न. 2319 रकबा 00.08 बीघा, आ.न. 3333 रकबा 00.04 बीघा, आ.न. 3302 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 3303 रकबा 01.11 बीघा कुल 06 रकबा 04.07 बीघा की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner